सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 239/18 **निर्णय दिनांक 27.07.2018**

1. विजय कुमार पुत्र श्री हुकमाराम जाति ब्राहमण निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 22.12.1990
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः
1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांटा ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22.12.1990 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि बिना नोटिस दिये अन्तर राशि बताकर निरस्त की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील कोलायत के चक 38 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 88/64 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का विशेष आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि

दिनांक 20—12—1990 को ही जमा करवा दी गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि पूर्व में ही जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अदालत मातहत की पत्रावली में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि राशि 50,535/—जरिये चालान संख्या जी.ए. 55/157 दिनांक 20—12—1990 जमा हो चुकी है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट को आवंटित भूमि का पट्टा जारी किया जा चुका है। जबकि आवंटन नियमों में यह अभिनिर्धारित है कि जैसे ही आवंटी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आवंटी के पक्ष में आराजी जैर का आवंटन पट्टा जारी करते हुए कब्जा प्रदान किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा न तो इस आश्य का कहीं उल्लेख किया गया कि आवंटी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। जबकि समय—समय पर इस आश्य के नोटिस जारी किये जाते रहे कि वे 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु उपस्थित होवें।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान करावें कि वह अपीलांट को आवंटित रकबे के स्थान पर अन्य रकबा आवंटित किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.1990 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 22.05.2018 को पेश की गयी है। अपील में मियांद कन्डोन करने के लिए सन्तोषप्रद कारण अंकित नहीं किये गये है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को समय—समय पर अदालत मातहत द्वारा राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किये जाते रहे है परन्तु अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—12—1990 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 22—05—2018 को पेश की गयी। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके खण्डन में राज्य पक्ष ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने विशेष आवंटन में भूमि आवंटन के लिए चक 38 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 88/64 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के लिए आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22—12—1990 को अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का पात्र घोषित करते हुए आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को किया गया। अपीलांट द्वारा तत्समय ही आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि 50,535/—जरिये चालान संख्या जी.ए. 55/157 दिनांक 20—12—1990 जमा हो चुकी है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 22—12—1990 को ही निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी थी तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में वादगत् भूमि का आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज किये बिना अन्य को आवंटित किया जाना उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होना साबित है।

(4) अदालत मातहत को अन्य व्यक्ति को वादगत् भूमि का आवंटन करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना समय—समय पर इस आश्य का नोटिस जारी किया जाता रहा है कि आरक्षित कीमत की 35 प्रतिशत राशि 50,535/— रूपये पहले बतौर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। जबकि अपीलांट द्वारा पूर्व में यह राशि अदालत मातहत के समक्ष जमा करवाई जा चुकी थी।

(5) ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् वांछित 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी थी तथा अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का पट्टा भी जारी कर दिया गया था। अदालत मातहत को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत की लापरवाही व राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22—12—1990 निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर